



संस्करण 7.0

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
उज्जवला केवाईसी आवेदन (काली स्थाही द्वारा बढ़े अक्षरों में भरा जाना है। सभी फील्ड भरना अनिवार्य हैं।)

अपनी तस्वीर
यहां चिपकाएं

उपभोक्ता विवरण	प्रवासी: हाँ	नहीं		
a) आवेदक का नाम सुश्री/श्रीमती (आधार के अनुसार)				
1 प्रथम नाम				
2 मध्य नाम				
3 अंतिम नाम				
4 आधार				
5 मोबाइल				
जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	

b)	जन्म तिथि
D	D M M Y Y Y Y

b) एलपीजी कनेक्शन के लिए पता/संपर्क जानकारी	P O A	मोबाइल	मंजिल संख्या
1 पते का प्रमाण (पीएओ) श्रृंगी कोड*			भूमि चिन्ह
2 मकान/फ्लैट, का नाम			क्षेत्र/डाकघर
3 आवास परिसर/भवन			का नाम
4 गली/सड़क का नाम			पिन कोड
5 शहर/कस्बा			ईमेल आईडी
6 गांव/पंचायत			
7 ब्लॉक/उप-जिला			
8 जिला			
9 राज्य			

c) राशन कार्ड/आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाले किसी भी अन्य राज्य विशेष परिवार संरचना के स्वीकृत दस्तावेज (प्रवासियों के मामले में)	आधार नंबर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	आधार का उपयोग करने की सहमति के लिए हस्ताक्षर			
क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम	लिंग (पुरुष/स्त्री)	आधार नंबर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	आधार का उपयोग करने की सहमति के लिए हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड मुद्रित हो।)	4. आईएफएससी कोड
1 बैंक खाते में नाम	
2 बैंक का नाम	
3 शाखा का नाम	
5 बैंक खाता संख्या	

e) राशन कार्ड/परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करनेवाला कोई अन्य राज्य विशेष परिवार संरचना का स्वीकृत दस्तावेज (प्रवासियों के मामले में) (राशन कार्ड/राज्य विशेष दस्तावेज/अनुलग्नक-1 की एक प्रति संलग्न करें (प्रवासियों के मामले में))	स्वीकृत परिवार संरचना दस्तावेज क्रमांक W. Bengal हेतु)
1 जारीकर्ता राज्य	
2 राशन कार्ड संख्या/राज्य विशेष दस्तावेज संख्या	

f) केवाईसी के साथ संलग्न लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14 सूची घोषणा	हाँ	नहीं
g) प्रवासी प्रमाण (अनुबंध - i)	हाँ	नहीं

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स/बक्सों को चिह्नित करें)	5 किग्रा सिलेंडर	14.2 किग्रा सिलेंडर
1 वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	1 - चूल्हा	2 - चूल्हा

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विवरण

- अ) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत तेल विषयन कंपनियों (ओपरेटरी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परावरां की महिलाओं को मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
- ब) यह योजना सिलेंडर की सुरक्षा जमा की लागत, दशाव नियामक, जीजीसीसी की लागत, सुरक्षा नली और स्थापना और प्रशासनिक शुल्क को कवर करने के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, लाभार्थी को हाँट प्लेट और पहला एलपीजी रिफिल भी दिया जाएगा।
- क) आपके घर में पीडीएस एलपीजी कनेक्शन के न होने के सफल स्थायान और पुष्टि पर, लागू नियमों और शर्तों के अधीन आपको एलपीजी कनेक्शन जारी किया जा सकती है।
- *पीओए दस्तावेजों की सूची
- आधार (यूआईडी)-POA01 | पासपोर्ट-POA02
पासबुक/बैंक स्टेटमेंट-PO-03
राशन कार्ड/एनएफएस कार्ड-POA04
ड्राइविंग लाइसेंस-POA05 | मतदाता पहचान पत्र-POA06
पासबुक/डाकघर खाता विवरण-POA07
पानी का बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA08
बिजली बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA09
संपत्ति कर रसीद (पिछले 1 वर्ष में जारी)-POA10
बीमा पॉलिसी-POA11
लेटरहेड पर हस्ताक्षरित पत्र जिसमें बैंक द्वारा जारी की गयी फोटो हो- POA12
फोटो आईडी जिसमें पता/हस्ताक्षरित पत्र हो जिसमें किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया फोटो हो- POA13
- शब्द लाइसेंस-POA14
एसएसएलसी बुक जिसमें फोटोग्राफ-POA15 शामिल है नरेण जांब कार्ड-POA16 | स्वर्तंत्रता सेनानी कार्ड-POA17 भासाह कार्ड/जन आधार कार्ड-POA18 किसान पासबुक-POA19 पंजीकृत पट्टा/बिक्री/किराया समझौता-POA20 डाक विभाग ने फोटोग्राफ युक्त पता कार्ड जारी किया-POA21 राज्य सरकार ने जारी किया जाति और निवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो-POA22 शामिल है राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासनों ने विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र या विकलांग आईडी कार्ड-POA23 जारी किया सरकार ने विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जिसमें पता-POA24. शामिल है स्व-घोषणा (केवल प्रवासियों के लिए) POA25



प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं पुत्र/पुत्री/पुत्री

आयु-

वर्ष, निवासी

- अपने नाम पर धरेलू एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता हूँ और निम्नानुसार पुष्टि करता हूँ:
- य) मैं यहां पुष्टि करता हूँ कि, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मैं समझता हूँ कि, झूटी जानकारी, यदि कोई हो तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडीय है।
- र) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपी एंड एनजी को किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/मेरे बैंक खाते के परिवर्तन/बंद/निष्क्रिय होने के मामले में/बैंक एनएसीएच में नहीं है या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या किसी भी जानकारी की गैर-गोपनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ल) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूँगा।
- व) मैं अपनी तेल कंपनी/मेरे बैंक को डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्य आधार संख्या/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाते के विवरण को अपने बीच और बाहरी एंजिसेंसों के साथ अपडेट/साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- श) एलपीजी की आपूर्ति और वितरण से संबंधित सरकारी विभिन्नों के किसी भी उलंघन की स्थिति में, आईओसी/बीपीसी/एचपीसी मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने, सुरक्षा जमा को जबत करने, हॉट प्लेट सहित उपकरणों को वापस लेने और नीति अनुसार दंडात्मक शुल्क लगाने के अपने अधिकार के भीतर होगा और दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के तहत लागू कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
- ष) मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत में रहता हूँ।
- स) कि मेरी जन्म तिथि— है (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है)
- ह) न तो मैं, और न ही घर के किसी अन्य सदस्य (परिवार का अर्थ है एक परिवार जिसमें सभी सदस्य परिवार संरचना कार्ड में एक साथ रह रहे हैं, जिसमें एक आम रसोई है) के पास पीएसयू तेल कंपनियों या पाइप्स ग्राउंड प्राकृतिक गैस कनेक्शन से कोई एलपीजी कनेक्शन है। हमारे आवास इकाई में धरेलू उपयोग के लिए। ('परिवार' जिनके पास पाइप से प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, वे सबसिंही वाले एलपीजी के पात्र नहीं हैं।)
- इ) मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग मेरे उपरोक्त पते पर और और केवल धरेलू खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मैं इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों का पालन करूँगा।
- झ) कि मैं उसी रसोई में कोई अन्य एलपीजी गैस सिलेंडर स्थापित नहीं रखूँगा।
- ज्ञ) जब कभी भूजे इस कनेक्शन के लिए दूसरा सिलेंडर जारी किया जाएगा तो उसका उपयोग उसी रसोई में और मूल संस्थापन के साथ करूँगा।
- अ) जब भी मैं अपने निवास वर्तमान पाले से दूसरे पते पर या अपना मोबाइल नंबर बदलूँगा, मैं मैसर्स को सूचित करूँगा। वितरक/आरजीएलवी का नाम) लिखित रूप में पता/मोबाइल नंबर बदलने की अग्रिम सूचना दूँगा।
- प) मुझे पता है कि धरेलू सब्सिंही वाला एलपीजी कनेक्शन मैसर्स द्वारा जारी किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल)/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल)/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) इस घोषणा और मेरे द्वारा इस में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) फॉर्म, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, बाद में किसी भी सरकार के साथ किसी अन्य धरेलू सब्सिंही वाले एलपीजी कनेक्शन के अस्तित्व के लिए डी-डुप्लीकेशन जांच के अधीन होना चाहिए। तेल कंपनी, मेरे नाम पर या मेरे 'परिवार' के किसी अन्य सदस्य के नाम पर।
- फ) यह कि यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा, 'केवाइसी' फॉर्म या पहचान/निवास प्रमाण के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज असत्य या गलत पाया जाता है, तो तेल कंपनी को आपूर्ति वापस लेने का अधिकार होगा। गैस/कनेक्शन समाप्त करें/हॉट प्लेट सहित उपकरणों को जबत करें/सुरक्षा जमा जबत करें, पहली रिफिल की लागत और प्राप्त सब्सिंही की वसूली करें और यह कि इस तरह की निकासी/समाप्ति/जट्टी/वसूली के लिए आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।
- ग) मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्वेच्छा से और जानते हुए एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आपसी के साथ आधार संख्या और आधार दस्तावेज साझा कर रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक: _____ स्थान: _____

नाम: _____

जिस श्रेणी में आवेदक आवेदन कर रहा है और अपने दस्तावेज जमा कर रहा है, उसके आधार पर डीलर/वितरक द्वारा भरा जाना है।

f)	उस श्रेणी का चयन करें जिसमें आवेदक पीएमयूवाई के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा है	कोड	आवेदक ने श्रेणी में आवेदन किया (बॉक्स को चिह्नित करें)	दस्तावेज जारी करने की तिथि (dd/mm/yy)	जारी करने का स्थान
01	अनुसूचित जाति				
02	अनुसूचित जनजाति				
03	पीएमयूवाई				
04	अति पिछड़ा वर्ग				
05	अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)				
06	चाय जनजाति और पूर्व चाय जनजाति				
07	वनवासी				
08	नदी के द्वीप				
09	एसईसीसी एचएच (एएचएल-टिन)^(लागू नहीं
10	14 सूचीय घोषणा के अनुसार गरीब एचएच				लागू नहीं

^(एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में अंकित है जो परिवार में एक व्यक्ति से संबंधित है)

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों की छायांकित प्रतीक्यां उनकी मूल प्रतीक्यों के समक्ष विधिवत् सत्यापित और प्रमाणित हैं तथा जमा किये गये दस्तावेज के अनुसार आवेदक के परिवार संरचना भी प्रमाणित की गई है और सही पाइ गई है।

एलपीजी आईडी (यदि आवश्यित हो):

वितरक के हस्ताक्षर

दस्तावेज सं. _____

पावती पर्ची

उज्जवला आवेदन प्राप्त किया (नाम) _____ स्थान _____

दस्तावेज सं.

राशन कार्ड नंबर / कोई अन्य राज्य विशेष दस्तावेज संख्या जो परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करता हो

दिनांक: _____

वितरक के हस्ताक्षर और मुहर